



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1940 (श10)

(सं० पटना 217) पटना, सोमवार, 11 फरवरी 2019

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी 2019

आदेश संख्या— 01/2019 राज्य कर

एस० ओ०. 30, दिनांक 11 फरवरी 2019—यतः बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) यह उपबंधित करती है कि —

- (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;
- (ii) ऐसा व्यक्ति जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य या संघराज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) की पूर्ति कर सकेगा; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है; और

यतः, कारबार पद्धति की बचत और निवेश के भाग के रूप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरूप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ।

अतः अब, बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बिहार गजट, असाधारण अंक में संख्या 970, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित बिहार माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017, संख्या 1/2017- राज्य कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित आदेश करते हैं, यथा :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है ।
2. कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य, जो जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा --
 - (i) धारा 10 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतकु के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;
 - (ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में ।
3. यह आदेश दिनांक 1 फरवरी, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 506)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

11 फरवरी 2019

एस० ओ०. 30, दिनांक 11 फरवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 506)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 11th February 2019

Order No. 01/2019- State Tax

S.O. 30 Dated 11th February 2019—WHEREAS, sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that-

- (i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said sub-section;
- (ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten per cent. of turnover in a State or Union territory in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;

AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if, save as otherwise provided in sub-section(1), he is not engaged in the supply of services;

AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of section 10;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 and in supersession of the Bihar Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017, No.01/2017-State Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 970, dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Bihar, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely: —

1. *Short title.* —This Order may be called the Bihar Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account-
 - (i) for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of section 10;
 - (ii) in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.
3. This order shall come in to force with effect from 1st February, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-5) 506)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary .

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 217-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>